

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकर

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती मोतीबाई

पत्रावली संख्या : 79/18

जीसीएमएस : 2018/00089

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 20.01.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। मूल वाद आज दिनांक को फैसल किया जा चुका है। अतः मूल वाद फैसल हो जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर ड्रॉप कर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

